इकाई 24 भारत में मूल्य निर्धारण

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य
24.1 प्रस्तावना
24.2 दो-भाग टैरिफ
    24.2.1 टेलीफोन
    24.2.2 विद्युत
24.3 लागतोपरि अथवा कीमत-लागत अंतर मूल्य निर्धारण
24.4 प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तंत्र
    24.4.1 पेट्रोलियम उत्पाद
    24.4.2 उर्वरक
24.5 अंतरण मूल्य निर्धारण
24.6 सारांश
24.7 शब्दावली
24.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

24.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- मूल्य निर्धारण के विभिन्न प्रकार समझ सकेंगे;
- मूल्य निर्धारण के विभिन्न प्रकारों के बीच भेद कर सकेंगे; और
- अलग-अलग एकाधिकारों और अल्पाधिकारों में मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, समझ सकेंगे।

24.1 प्रस्तावना

रूढ़िवादी आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार, एक उत्पाद का मूल्य बाज़ार में माँग और पूर्ति की अन्तर्क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। जब माँग बढ़ती है तब मूल्य में वृद्धि होती है (अर्थात् जब पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसकता है) और जब पूर्ति बढ़ती है तो मूल्य घटता है। औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण का अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक निहितार्थ होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था-व्यापी नीति विश्लेषण के लिए औद्योगिक मूल्य निर्धारण कार्य-प्रणाली संबंधी सूचना अत्यंत ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि यह कल्पना की जाए कि माँग और पूर्ति, जब यह वस्तुत: लागत पर आधारित होता है, मूल्य का निर्धारण करता है, तब यह स्फीतिकारक प्रभाव का अधिमूल्यन अथवा अधोमूल्यन कर सकता है। "लागत-वृद्धि" सिद्धान्त के अनुसार कच्चे माल के अधिक मूल्य के परिणामस्वरूप उत्पाद का मूल्य अधिक होता है। किंतु "माँग-प्रेरित" सिद्धान्त के अनुसार अधिक मूल्य का निर्धारण अधिक माँग द्वारा होता है।

विभिन्न बाज़ार संरचनाओं में मूल्यों का निर्धारण अलग-अलग रीतियों से होता है। यह बाज़ार में सक्रिय फर्मों की संख्या और कार्यप्रणाली, उपभोक्ताओं के व्यवहार और सरकार द्वारा किसी भी हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। बाज़ार संरचना विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे *पूर्ण प्रतियोगी, एकाधिकारी* और *अल्पाधिकारी*। सामान्यतया फर्म अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते

तथापि, संक्षेप मे, *पूर्ण प्रतियोगिता* में, मूल्यों का निर्धारण माँग और पूर्ति की अन्तर्क्रिया द्वारा होता है और यह मान लिया जाता है कि फर्मों का इस बात में विश्वास नहीं होता कि वे अपने व्यक्तिगत उत्पादनों में परिवर्तन करके बाज़ार मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं। *एकाधिकार* एक बाज़ार संरचना है जिसमें उद्योग में सिर्फ एक फर्म ही विद्यमान होता है और वह उपभोक्ताओं द्वारा माँग के अनुसार लिया जाने वाला मूल्य निर्धारित करता है। कुछ फर्मों जिनकी बाज़ार शक्ति बृहत् एकाधिकारी की भाँति होती हैं जैसे टेलीफोन और विद्युत द्वारा बहुधा अपनाए जाने वाले मूल्य निर्धारण प्रणाली को दो-भाग टैरिफ के रूप में जाना जाता है। मूल्य निर्धारण के इस स्वरूप में फर्म उपभोक्ताओं को उपयोग की मात्रा के अनुसार अलग-अलग मात्रा-स्तरों (QUANTITY SLAB) में बाँटकर दो या अधिक मूल्य प्रभारित करती है। दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित स्तर (पहला स्लैब) तक उपभोग के लिए एक मूल्य, फिर अगले उच्चतर स्तर के लिए भिन्न मूल्य और इसी तरह से अन्य स्तरों के लिए भी अलग-अलग मूल्य। *अल्पाधिकारी* बाज़ार संरचना की विशेषता यह होती है कि इसमें एक से अधिक कुछ फर्म विद्यमान होते हैं जो अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए बाज़ार में नीतिबद्ध तरीके से प्रतिस्पर्धा करते है। इस प्रकार वे अपने उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन करके बाज़ार मूल्य को प्रभावित करते हैं। व्यवहार में, अनेक एकाधिकारी और अल्पाधिकारी बाज़ार में लिया जाने वाला मूल्य उस पर आधारित होता है जिसे लागतोपरि अथवा कीमत-लागत अंतर मूल्य निर्धारण कहा जाता है जिसके द्वारा फर्म वह मूल्य लेता है जो विनिर्दिष्ट *कीमत-लागत* अंतर द्वारा उनके लागतों से उच्चतर होता है (जैसा कि आप पहले ही इकाई 23 में पढ़ चुके हैं)।

कभी-कभी, सरकार कुछ मदों जैसे पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरकों के मूल्यों और उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित अथवा विनियमित करने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के लिए, भारत में, पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के लगभग सभी पहलु पर नियंत्रण रखा है। इसने प्रत्येक तेल-शोधक के लिए उत्पादन स्तर, उत्पादन संरचना, प्रचालन लागत, नियोजित पूँजी इत्यादि, इत्यादि के मामले में मानदंड निर्धारित किया है। इस तरह के हस्तक्षेप जिसमें उत्पादन से लेकर मूल्य निर्धारण तक विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों में होते हैं को संक्षेप में, प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तंत्र अथवा ए पी एम कहा जाता है। इस तंत्र के अन्तर्गत, एक विशेष प्रकार का मूल्य निर्धारण होता है जिसे दोहरा मूल्य निर्धारण कहा जाता है, जिसमें सरकार फर्म के उत्पादन के मात्र विनिर्दिष्ट अंश का मूल्य निर्धारित करती है जबकि फर्म को शेष उत्पादन खुले बाज़ार में प्रचलित बाज़ार मूल्य पर बेचने की स्वतंत्रता होती है। भारत में, चीनी और सीमेण्ट जैसे उत्पादों के लिए विगत में दोहरी मूल्य निर्धारण लागू की गई है। तथापि बाद में दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली समाप्त कर दी गई, चीनी के मूल्य निर्धारण के मामले में यह प्रणाली अभी भी जारी है।

24.2 दो-भाग टैरिफ

दो-भाग टैरिफ में, एक भाग नियत पहुँच प्रभार (अर्थात् किराया भुगतान) होता है और दूसरा भाग प्रति इकाई मूल्य (अर्थात् स्थानीय कॉल प्रभार) होता है। टेलीफोन और विद्युत के मामले में यह अत्यन्त ही सामान्य है। अब हम इनमें से प्रत्येक के ऊपर विस्तार में दृष्टि डालेंगे।

24.2.1 टेलीफोन

भारत में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) टेलीफोन के प्रयोग के लिए अपने उपभोक्ताओं से बहु-भाग टैरिफ संरचना प्रभारित करती है। इसमें किराया मूल्य और कॉल प्रभारों अथवा इकाई-मूल्य के अनेक दर सम्मिलित हैं। स्थानीय कॉलों के लिए किराया और कॉल प्रभार लम्बी दूरी के कॉलों के प्रभारों जो अधिक है की तुलना में सस्ते हैं क्योंकि इन पर सब्सिडी है। यह

प्रति-सब्सिडी का उपयोग करके बहु-उत्पाद एकाधिकार का मामला है। यह लम्बी दूरी के कॉलों के लिए अपने सीमान्त लागत से उच्चतर मूल्य प्रभारित करता है और स्थानीय कॉलों को उन्हें सीमान्त लागत से कम मूल्य प्रभारित करके प्रति-सब्सिडी प्रदान करता है।

इस समय अधिकतम देय किराया 190 रु. प्रति माह है। इसके बाद, कॉलों को किए गए कॉलों की संख्या के अनुसार प्रभारित किया जाता है जो निम्नवत् है।

कॉलों की संख्या	कॉल प्रभार (रु. प्रति कॉल)
150 कॉलों से कम	नि:शुल्क
151 से 400 कॉलों तक	0.80 रु. प्रति कॉल
401 से 1000 कॉलों तक	1.00 रु. प्रति कॉल
1000 कॉलों से ज़्यादा	1.20 रु. प्रति कॉल

क) किराया मूल्य

किराया मूल्य की गणना प्रति लाइन पूँजी लागत पर की जाती है। लम्बी दूरी के कॉलों की लागत स्थानीय कॉलों की लागत से भिन्न होती है। प्रति लाइन कुल वार्षिक पूँजी लागत 31,000 रु. है। इसमें से, लम्बी-दूरी के उपकरणों से संबंधित लागत एक चौथाई अथवा 7750 रु. है। शेष 23250 रु. की राशि स्थानीय नेटवर्क से संबंधित पूँजी लागत है। यह ब्याज भुगतानों और मूल्य ह्रास के रूप में खर्च होता है। किराया प्रभार इन्हीं लागतों को पूरा करने के लिए होता है।

लम्बी-दूरी के कॉलों के लिए उच्चतर प्रभारों का उपयोग टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के लिए निधियों के सृजन हेतु किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क की कुल पूँजी लागतों का लगभग 75 प्रतिशत स्थानीय नेटवर्क के लिए व्यय किया जाता है और शेष लम्बी दूरी से जुड़े उपकरणों के लिए व्यय किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा घोषित नया टैरिफ जिस सिद्धांत पर आधारित है उसे टैरिफ पुनर्संतुलन (tarrif re-balancing) कहा जाता है। टैरिफ पुनर्संतुलन के पीछे तर्क यह है कि टैरिफ अथवा मूल्यों को लागत के अनुसार निर्धारित किया जाए। यह तभी किया जा सकता है यदि स्थानीय कॉलों के लिए किराया बढ़ाया जाए और लम्बी दूरी के प्रभारों में कमी आए। ट्राई की मान्यता है कि किराया से प्रतिवर्ष पूँजी लागत का 25 प्रतिशत वसूल होगा। चूँकि 23250 रु. का 25 प्रतिशत 5812 रु. है, उसे 12 से विभाजित कर दिया जाए तो जो मासिक किराया निकलता है वह 484 रु. होता है। यह 190 रु. के वर्तमान किराया से बहुत अधिक है। इस प्रकार ट्राई ने पाया कि सिर्फ लागत पर आधारित किराया बहुत अधिक था। इसलिए, इसने बाज़ार मूल्यों में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किराया की गणना करने का निर्णय किया। तत्पश्चात्, इसने प्रभारित किए जाने वाले किराया की घोषणा की जो 70 रु. से 310 रु. तक था। किंतु यह लागत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लम्बी दूरी के प्रभार बड़े पैमाने पर किरायों के लिए सब्सिडी देना जारी रखेंगे।

ख) कॉल प्रभार

कॉल प्रभारों की गणना इस सिद्धान्त पर की जाती है कि इनसे पूँजीगत लागत जैसे ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर प्रचालन लागत निकल जाए। स्थानीय कॉलों के प्रभार से भी सिर्फ प्रचालन लागत आता है। इसके विपरीत, लम्बी दूरी के कॉलों से दो प्रकार की लागतों को पूरा होना चाहिए। एक, लागत आधारित किराया और वास्तविक (निम्न) किराया का अंतर। और दो, लम्बी दूरी से संबंधित उपकरण से जुड़ी लागत। प्रत्येक प्रकार के कॉल के लिए टैरिफ की गणना करने के लिए

ट्राई अपने प्रचालन लागतों को उस कॉल के कुल मिनट की संख्या से विभाजित करती है। स्थानीय कॉलों पर आने वाला लागत का हिस्सा कुल लागत का 83 से 90 प्रतिशत के बीच होता है। स्थानीय टैरिफ की गणना के लिए इसे कॉलों के कुल मिण्ट की संख्या से विभाजित किया गया।

24.2.2 विद्युत

भारत में, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों विद्युत बोर्डो, क्षेत्रीय विद्युत बोर्डो और अन्य संगठनों जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी), जल विद्युत निगम (एन एच पी सी), परमाणु ऊर्जा विभाग इत्यादि द्वारा चलाई जाती है। इन्हें सामान्यतया केन्द्रीय संयंत्रों के रूप में जाना जाता है। विद्युत संयंत्रों की संस्थापनाएँ (utilities), अथवा इकाइयाँ (units) भी कहा जाता है।

विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत के विभिन्न घटक हैं। विद्युत के उत्पादन में ईंधन, श्रमशक्ति और विद्युत संयंत्रों के प्रचालन का लागत सम्मिलित है। पोषण और वितरण लागत जैसे उपभोक्ता से संबंधित सेवाएँ और उपरि व्यय में मीटर सर्विस, बिल संग्रह और स्टाफ लागत सम्मिलित हैं। इन लागतों में से कुछ अलग-अलग प्रकार के उपभोक्ताओं जैसे आवासीय, कृषि वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए भिन्न होते हैं। विद्युत के लिए प्रभारित मूल्य में इन लागतों का भिन्न-भिन्न प्रयोग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भिन्न-भिन्न उपभोक्ताओं से प्रभारित मूल्यों को लागत में उनके अलग-अलग योगदान पर निर्भर करना चाहिए। भारत में, घरेलू, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्टाफ लागत सर्वाधिक है क्योंकि बड़ी संख्या में कम राशि के बिलों को निपटाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं में एक अन्य अंतर उनकी माँग का मूल्य लोच है। इसलिए, जब विद्युत का मूल्य बढ़ाया जाता है तब उच्चतर लोच वाले उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं की अपेक्षा माँग में अधिक कमी करेंगे। मूल्य संरचना की रूपरेखा तैयार करते समय इस घटक को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अधिकांश देशों में विद्युत के मूल्य निर्धारण में दो-भाग टैरिफ प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। जब बृहत् संयंत्रों के रूप में नई क्षमता का सृजन किया जाता है, अतिरिक्त पूँजी लागत का परिणाम उच्चतर किराया मूल्य होता है। इसके विपरीत, उदाहरण के लिए, जब ईंधन की लागत बढ़ती है, इसके परिणामस्वरूप सिर्फ इकाई मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। कुछ देशों में दिन-का-समय मूल्य निर्धारण प्रणाली का भी अनुसरण किया जाता है। अर्थात्, अधिकतम भार के समय अधिक मूल्य, प्रभारित किया जाए और सामान्य भार को घंटों के दौरान कम मूल्य लिया जाए पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में, अधिकतम भार मूल्य सामान्य भार मूल्य की अपेक्षा 6 से 10 गुणा अधिक है। सामान्य भार घंटों में कम मूल्य का यह औचित्य बताया जाता है कि इन घंटों के दौरान क्षमता उपयोग कम होता है। दिन में उपयोग के समय की निगरानी के लिए अलग प्रकार के विद्युत मीटरों की आवश्यकता होगी जो कि अधिक खर्चीले हैं। इन्हें बृहत् औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए लगाया जा सकता है।

भारत में इन दोनों प्रणालियों, दो-भाग टैरिफ और दिन में उपयोग के समय मूल्य निर्धारण, में से किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। यद्यपि कि भारत में अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड, टेलीफोन के बिल की भाँति ही, उपभोग के अधिक स्तर के लिए अधिक मूल्य की माँग करते हैं, वे कृषि उपभोक्ताओं से काफी कम मूल्यों की माँग करते हैं। विद्युत मूल्य निर्धारण का एक महत्त्वपूर्ण घटक सेवा की गुणवत्ता है। यह बिजली की आपूर्ति की फ्रीक्वेन्सी, वोल्टेज और एक वर्ष के दौरान बिजली की आपूर्ति में व्यवधान आने की संख्या पर निर्भर करता है। विद्युत का मूल्य निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि औद्योगिक उपभोक्ताओं जिन्हें निर्बाध विद्युत पूर्ति की आवश्यकता होती है, को इसके लिए अधिकांश लागत का वहन करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेषण और वितरण हानियों के कारण लागत अधिक होती है, उदाहरण के लिए आवासीय और कृषि उपभोक्ता कम वोल्टेज पर बिजली लेते

हैं। अतएव, समुचित टैरिफ नीति के लिए विभिन्न विवरणों के एकत्र करने की आवश्यकता होगी। इसमें, संस्थापनाओं की लागत संरचना, दिन के भिन्न-भिन्न घंटों में लोड और विभिन्न उपभोक्ताओं की माँग की मूल्य लोच।

बोध प्रश्न 1

1) भारत में किस-किस प्रकार के मूल्य प्रचलित हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) दो भाग टैरिफ से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) दिन के समय मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारत में विद्युत टैरिफ संरचना की क्या प्रणाली है? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24.3 लागतोपरि अथवा कीमत-लागत अंतर मूल्य निर्धारण

कुछ बाज़ार संरचनाओं जैसे अल्पाधिकार में, बहुधा फर्म वह मूल्य प्रभारित करते हैं जो औसत लागत के ऊपर कुछ प्रतिशत लाभ गुंजाइश (Profit Margin) पर आधारित होता है। इस मार्जिन को *कीमत-लागत* अंतर भी कहा जाता है। इसलिए मूल्य निर्धारण की इस प्रणाली को लागतोपरि अथवा कीमत-लागत अंतर मूल्य निर्धारण भी कहा जाता है। यह सामान्यतया विश्वास किया जाता है कि यद्यपि माँग और पूर्ति कृषि मूल्यों को निर्धारित करते हैं, औद्योगिक मूल्य लागतोपरि आधार पर निकाला जाता है। चटर्जी (1989) यू एस ए, यू के और भारत सहित अनेक देशों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ लागतोपरि मूल्य निर्धारण का अनुसरण किया जाता है। इस खंड में इकाई 23 में लागतोपरि मूल्य निर्धारण प्रणाली के प्रयोग के लाभ और हानि के संबंध में चर्चा की गई है।

इस तरह की बाज़ार संरचना में, माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है किंतु मूल्य प्रभावित नहीं होता है। किंतु जब लागत बढ़ती है उदाहरण के लिए, कच्चे मालों के लागत में अथवा श्रमिकों को दिए गए मजदूरी वृद्धि के कारण, इसके परिणामस्वरूप कीमत-लागत अंतर के उतना ही रहने पर भी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह लाभ में गिरावट नहीं आने देती है। तथापि, यदि उपभोक्ता इस प्रकार की मूल्य वृद्धि का पूरा प्रभाव सहन कर पाने में सक्षम नहीं होता है तो उद्योग लागत में वृद्धि की सीमा तक मूल्य वृद्धि करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, कीमत-लागत अंतर में कमी आएगी। अल्पाधिकारी बाज़ार जिसमें कुछ ही फर्म है, यदि फर्म मिल कर संघ बना लेते हैं तब कीमत-लागत अंतर को प्रभावित किए बिना लागत वृद्धि को उपभोक्ता पर थोपने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी।

24.4 प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तंत्र

भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अनेक औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निर्धारण प्रशासित होता है। प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यकलाप जैसे खनन, विनिर्माण, सार्वजनिक उपयोगिताएँ, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, वित्त और सेवाएँ इत्यादि आती हैं। भारत में न सिर्फ राज्य एकाधिकार जैसे रेलवे अपितु एकाधिकार सदृश उपक्रमों में जैसे विद्युत और डाक सेवाओं के मूल्य भी प्रशासित किए जाते हैं। इसी प्रकार, अनेक उद्योगों में जहाँ सरकार की प्रभुत्वशाली स्थिति है (उदाहरण के लिए इस्पात, भारी मशीनरी, उर्वरक, औषधि और फार्मास्यूटिकल, पेट्रोरसायन) और निजी क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है, उत्पादों के मूल्य प्रशासित हैं। इस इकाई में, हम आगे के उपखंडों में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे।

24.4.1 पेट्रोलियम उत्पाद

हाल तक, पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन से लेकर मूल्य निर्धारण तक प्रशासनिक मूल्य तंत्र (ए पी एम) के अंतर्गत था। समय बीतने के साथ इस प्रणाली में भारी परिवर्तन आया है। यह तंत्र 1970 के दशक के आरम्भ में शुरु हुआ था जब पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य लागतोपरि आधार पर निर्धारित किए गए थे। तेल समन्वय समिति (ओ सी सी), जो पेट्रोलियम मंत्रालय का एक अंग हैं, तेलशोधकों ने (जैसे बी पी सी एल, एच पी सी एल और आई ओ सी) के लिए उत्पादन लागत और अनुमत्य खर्चों को निर्धारित किया। इसमें कच्चे माल का लागत, परिवहन, उधारियों पर वास्तविक ब्याज लागत और शुद्ध संपत्ति पर ब्याज पश्चात् 12 प्रतिशत प्रतिलाभ सम्मिलित है। इस तरह का मूल्य निर्धारण में लागत कम करने तथा दक्षता बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। कुछ उत्पाद जो मुख्य रूप से निर्धनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जैसे रसोई गैस, मिट्टी का तेल और डीजल पर राजसहायता धनवानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों जैसे पेट्रोल और वायुयान के ईंधन

(Aviation Turbin Fuel) पर अधिक-कर लगा दिया गया। इस प्रकार, बजट से सीधे राजसहायता देने के स्थान पर, ए पी एम ने पेट्रोलियम क्षेत्र के अंदर प्रति-राजसहायता (Cross Subsidy) का प्रावधान किया। बजट से पृथक् खातों के अलग सेट जिसे तेल पूल खाता कहा गया, के माध्यम से अन्तर्वाह और बहिर्वाह की गणना की गई।

वर्ष 1997 में एक भारी परिवर्तन आया जब अनेक उत्पादों विशेषकर, डीजल को प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तंत्र से बाहर कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप डीजल का मूल्य इसके अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ गया जिससे कि डीज़ल के मूल्य में अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कमी-वृद्धि की साथ घट-बढ़ होगी। तथापि व्यवहार में, ऐसा नहीं हुआ। तेल क्षेत्र में नियंत्रणों को समाप्त करने के पहले चरण तक लगभग प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण था। अब उत्पादों की दो श्रेणियाँ हैं, एक जिसका मूल्य निर्धारण सरकार प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अंतर्गत करती है और दूसरा जिसका मूल्य कंपनियाँ निर्धारित करती हैं। डामर (bitumen), नापथा, फर्नेस आयल और ल्यूब आयल आधारित मालों जैसे वाणिज्यिक उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाज़ार शक्तियों द्वारा किया जाता है जबकि पाँच प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस और वायुयान का ईंधन (ए टी एफ) का मूल्य निर्धारण अभी भी प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अंतर्गत है। पेट्रोल और ए टी एफ जैसे प्रमुख उत्पादें की कीमत अभी भी अधिक है जिससे कि मिट्टी के तेल और रसोई गैस को राजसहायता प्रदान की जा सके।

वायुयान के ईंधन (ए टी एफ) के मूल्य निर्धारण के संबंध में एक अन्य समस्या यह है कि विदेशी और घरेलू एयरलाइन्स के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है। जहाँ घरेलू एयरलाइन्स को इस ईंधन पर बिक्री कर देना पड़ता है जबकि विदेशी एयरलाइन्स को बिक्री कर नहीं देना होता है। सरकार ने घोषणा की है कि ए टी एफ को प्रशासनिक मूल्य तंत्र से 31 मार्च 2001 तक हटा दिया जाएगा। अर्थात् इसकी बिक्री अन्तरराष्ट्रीय मूल्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से की जाएगी। अप्रैल, 2002 तक प्रशासनिक मूल्य तंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य था जिसके पश्चात् पेट्रोल सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाज़ार द्वारा किया जाएगा। मिट्टी तेल और रसोई गैस पर राजसहायता उत्तरोत्तर कम होगा और इसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से प्रति राजसहायता के स्थान पर सामान्य बजट से राजसहायता दी जाएगी। डीजल, नाफ्था, बिट्युमेन, एल एस एच एस (low sulphur heavy stock), ईंधन आयल इत्यादि जैसे उत्पाद उस मूल्य पर उपलब्ध होंगे जिस पर वे अन्तरराष्ट्रीय बाज़ारों से आयात किए जाते हैं। इसका अर्थ होगा प्रयोक्ताओं लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग, वस्त्र , फाउन्ड्री इत्यादि के लिए इनका कम मूल्य जो अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

24.4.2 उर्वरक

भारत में उर्वरकों का मूल्य निर्धारण मूल्य नियंत्रणों का एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है। घरेलू आत्म निर्भरता सुनिश्चित करने तथा कृषकों को अधिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस पर राजसहायता दिया गया। यह राजसहायता कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के मूल्य और घरेलू उत्पादन तथा आयात के लागतों में अंतर को प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजनी उर्वरक (यूरिया) कृषकों को समान मूल्य पर बेची जाती है। यह सरकार के प्रतिधारण कीमत योजना (Retention Price Scheme) के अंतर्गत लागतोपरि मूल्य है। इस समय यूरिया पर औसत राजसहायता 4000 रु. प्रति टन है। फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। अर्थात्, खुला सामान्य लाइसेन्स (OGL) की प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी इनका आयात कर सकता है। तत्पश्चात् आयातक सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्य पर घरेलू बाज़ार में इनकी बिक्री कर सकता है यह मूल्य आयातकों को रियायत प्रदान करता है।

समय बीतने के साथ राजसहायता के कारण कृषकों ने उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना शुरू किया

है। किंतु उर्वरक राजसहायता पर सरकार के खर्च में भी काफी वृद्धि हुई है। इसलिए इन राजसहायता को कम करने की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष 2000 में ऐसा करने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। व्यय सुधार आयोग ने अनेक सुझाव दिए (देखिए भारत सरकार 2001)।

आयोग के अनुसार, प्रतिधारण मूल्य योजना के परिणामस्वरूप बृहत् घरेलू उद्योगों के विकास में सहायता मिली है। अब देश अपनी उर्वरक माँग को स्वंय पूरी कर सकता है। चूँकि मूल्य लागतापरि पर मूल्य आधारित है यह उत्पादकों को लागत दक्ष बनने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। आयोग का उद्देश्य इस मूल्य को कम करके आयात मूल्य के स्तर पर लाना था। इस पर विचार करते हुए यूरिया के उत्पादन का घरेलू लागत आयात मूल्य से अधिक है। यह सुझाव दिया गया था कि कुछ उर्वरक उत्पादन इकाइयों को, यदि यूरिया को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया जाता है, बंद करना पड़ेगा। तथापि, इसके साथ ही, आयोग को लघु कृषकों की आय को भी बचाना था और विभिन्न उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना था। इसे यह भी सुनिश्चित करना था कि खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट नहीं आई।

क) लघु कृषकों को संरक्षण प्रदान करना

लघु कृषकों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में भी सुझाव दिए गए थे। यह सुझाव दिया गया था कि लघु कृषकों को अलग-अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जाए। वे भूमि के विकास, लघु सिंचाई सुविधाओं इत्यादि के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। इन कार्यों से उन्हें अतिरिक्त मजदूरी आय हो सकती है तथा भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है। अतएव, जब भविष्य में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की जाती है तब उनके उत्पादन और आय में ह्रास नहीं होगा। दोहरी मूल्य योजना के अनुसरण का भी सुझाव दिया गया था जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 120 कि. ग्रा. उर्वरक सस्ते दर पर दिया जाता है।

ख) आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना

आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि देश अपने उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकता है। यदि यूरिया पर मूल्य राजसहायता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तो अनेक घरेलू फर्मों को बंद करना होगा क्योंकि आयात मूल्य घरेलू मूल्य से नीचे है। अतएव आयोग ने सुझाव दिया कि मूल्य नियंत्रण को 1 फरवरी, 2001 से शुरू करके विभिन्न चरणों में समाप्त कर दिया जाए। इन चरणों के दौरान अधिक अकुशल इकाईयों को लागत पूरी करने के लिए राजसहायता दी जाएगी जिससे कि माँग को पूरा किया जा सके। किंतु 1 अप्रैल, 2006 तक उन्हें आधुनिकीकरण करना होगा और अधिक कुशल संयंत्र की स्थापना करनी होगी।

24.5 अंतरण मूल्य निर्धारण

कंपनियाँ एक दूसरे से उर्ध्वमुखी रूप से संबंधित हो सकती है - अर्थात् जब एक कंपनी अगली कंपनी के लिए आदानों का उत्पादन करती है जो पुन: अगली कंपनी के लिए आदान का उत्पादन करती है और इसी तरह का क्रम चलता रहता है। इस प्रकार वे एक ही उत्पादन शृंखला में होते हैं अर्थात् विनिमयिता और वितरक। इसके विपरीत कंपनियाँ समान स्तर पर संबंधित होती हैं जब वे एक समान उत्पाद का उत्पादन करके एक ही बाज़ार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। जब एक कंपनी दूसरी संबंधित कंपनी को वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति करती है तो वह जो मूल्य लेता है उसे अंतरण मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार प्रभारित मूल्य दोनों कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कर को प्रभावित करता है। किन्तु अलग-अलग क्षेत्रों जो अलग-अलग देश राज्य क्षेत्राधिकार हो सकते हैं में कर की दरें भिन्न-भिन्न हो सकती है। संबंधित कंपनियाँ अंतरण मूल्य निर्धारण का

प्रयोग कर के वह जो कर चुकाते हैं उसे बचाने के लिए इसका दुष्प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने के लिए वे उच्चतर आय को कम कर वाले क्षेत्राधिकार में अंतरित करते हैं जिससे उन्हें कम आय अथवा कर देना पड़े। और वे अधिक व्यय को उच्च कर क्षेत्राधिकार में अंतरित कर देते हैं जिससे इसके कर योग्य लाभों को कम किया जा सके और इस प्रकार कम कर देगा।

अंतरण मूल्य निर्धारण के कारण सरकार को कर राजस्व में भारी हानि होती है। इसलिए उनके लिए अंतरण मूल्य निर्धारण का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है, जो किसी विशेष सौदा से लाभ उचित है अथवा नहीं का पता लगा कर किया जाता है। भारत जैसे देशों में यह कच्चे मालों संयोजन के लिए अर्धनिर्मित वस्तुओं और औद्योगिकी के अंतरण मूल्यों पर आयात के माध्यम से किया जाता है जिससे कि ग्लोबल टैक्स लाभ प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के बीच निकट संबंधों का पता लगाती है। यदि अंतरण मूल्य निर्धारण का पता चलता है तो वे भारतीय कंपनी के कर योग्य आय का समायोजन करती है। दूसरे शब्दों में, यदि भारतीय कंपनी का लाभ कम प्रतीत होता है तो कर योग्य आय बढ़ जाती है।

यू एस ए, यू के, कनाडा , ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे अनेक विकसित देश अत्यन्त ही कठोर अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों का अनुसरण करते हैं। इन देशों में करदाताओं को संबंधित पक्षों के साथ सभी तरह के कारोबारों का विस्त त रिकार्ड रखना पड़ता है। भारत में, अंतरण मूल्य निर्धारण के लिए यद्यपि कि आय कर उपबंध हैं , वे पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि करदाताओं द्वारा संबंधित पक्षों के साथ कारोबार के बारे में सूचना रखना अथवा प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

बोध प्रश्न 2

1) भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में प्रशासनिक मूल्य तंत्र की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में व्यय सुधार आयोग द्वारा उर्वरकों के संबंध में क्या सुझाव दिए गए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) कंपनी उत्पादों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

24.6 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप समझ गए होंगे कि मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, दो-भाग टैरिफ क्या है? अल्पाधिकार और एकाधिकार में मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार होता है? हम प्रशासनिक मूल्य तंत्र से क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत आपने जाना कि भारत में टेलीफोन, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। इस इकाई में अंतरण मूल्य निर्धारण के तंत्र पर चर्चा भी की गई है।

24.7 शब्दावली

बहुभाग टैरिफ : यह उपभोक्ताओं के लिए उनके द्वारा उपभोग की गई मात्रा के अनुसार मूल्य निर्धारण की सरल प्रणाली है।

दो-भाग टैरिफ : इस टैरिफ संरचना में दो भाग होते हैं। एक भाग नियत पहुंच प्रभार अथवा किराया भुगतान है और दूसरा भाग प्रति इकाई मूल्य अथवा टेलीफोन के मामले में स्थानीय कॉल प्रभार है।

दिन का समय : यह एक स्थिति है, उदाहरण के लिए विद्युत टैरिफ के दौरान अधिक मूल्य प्रभारित किया जाता है जबकि सामान्य भार घंटों के दौरान कम मूल्य प्रभारित किया जाता है।

अंतरण मूल्य निर्धारण : जब एक कंपनी दूसरी संबंधित कंपनी को वस्तु अथवा सेवाओं की पूर्ति करती है, जो मूल्य यह प्रभारित करता है उसे अंतरण मूल्य कहते हैं।

24.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

चटर्जी, आर., (1989). *दि बिहैवियर ऑफ इण्डस्ट्रियल प्राइसेज इन इंडिया,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया, (2001). *व्यय सुधार आयोग का प्रतिवेदन,* वित्त मंत्रालय का प्रतिवेदन।

24.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 24.1 देखिए।

2) भाग 24.2 देखिए।

3) उपभाग 24.2.2 देखिए।

4) उपभाग 24.2.2 देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) उपभाग 24.4.1 देखिए।

2) उपभाग 24.4.2 देखिए।

3) भाग 24.5 देखिए।